झारखण्ड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (JMDP)

–प्रारूप–

पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभाव आकलन

सहित

भौतिक एवं सांस्कृतिक संपत्ति प्रबंधन योजना

कांको चौक से मेम्को गोल बिल्डिंग चौक के बीच सड़क का सुद्दढ़ीकरण, विकास एवं सौन्दर्यीकरण

धनबाद

पैकेज NCB 01 एवं NCB 02

खण्ड I – मुख्य प्रतिवेदन

झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (JUIDCO)

दिसम्बर, 2017

कार्यकारिणी सारांश

परिचयः–

नगर विकास एवं आवास विभाग (यूडीएचडी), झारखंड सरकार ने शहरी सेवाओं के निष्पादन एवं चयनित शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में शहरी प्रबंधन क्षमता में सुधार के उद्देश्य से झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (जेएमडीपी) तैयार की है । जेएमडीपी झारखंड के जिलों में कई उप–परियोजनाओं की योजना और कियान्वयन पर जोर देता है । झारखंड सरकार ने झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (जुडको लिमिटेड) की पहचान की है जो जेएमडीपी को कार्यान्वित करने के लिए प्राथमिक कार्यान्वयन ऐजेंसी है । झारखंड सरकार ने जेएमडीपी की लागत के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता की मांग की है ।

निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ जेएमडीपी के लिए एक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क (ईएमएमएफ) तैयार किया गया हैः–

कार्यान्वयन एवं परियोजना चक्र के दौरान आने वाले संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों तथा प्रभावों का आकलन और प्रबंधन करने के लिए, निवेश की सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, और राष्ट्रीय पर्यावरण और सामाजिक कानून तथा विश्व बैंक की सुरक्षा नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए । ESMF एवं बैंक ओ पी 4.01 श्रेणी ब्ी परियोजना की आवश्यकता अनुरूप NCB-1 (कांको चौक से विनोद बिहारी चौक–11.7 कि0 मी0) एवं NCB-2 (बिनोद बिहारी चौक से मेम्को गोल बिल्डिंग चौक) उप–परियोजना हेतु अनुवीक्षण, वर्गीकरण,पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभाव आकलन (RSIA) तथा प्रबंधन योजना का संचालन डी पी आर परामार्शियों से स्वतंत्र परामर्शियों द्वारा कराया गया है डब्लू बी जी इ एच एस के दिशा–निर्देशों, औद्यौगिक क्षेत्र दिशा–निर्देशों एवं आई ऍफ सी आई बी आर डी वर्कर एकामोडेशन दिशा–निर्देशों को सही पर्यावरणीय प्रबंधन योजना हेतु अनुशंसित किया गया है ।

कांको चौक से मेम्को गोल बिल्डिंग चौक तक सड़क का विवरणः–

साइकिल ट्रैक, फुटपाथ, सड़क किनारे नालों, सर्विस लेन और सड़क सज्जा, प्रकाश और सुरक्षा सुविधाओं के साथ मौजुदा 2 लेन रोड – 11 से 4 लेन को सुदृढ़, विकसित ओर सुशोभित करने का प्रस्ताव है । इसमें कांको चौक से विनोद विहारी चौक (11.7 किमी) और विनोद विहारी चौक से मेमको गोल बिल्डिंग चौक (8.2किमी) शामिल हैं। धनबाद (सीएमपी 2016) के लिए परियोजना डिजाइन व्यापक गतिशीलता योजना पर आधारित है , जिसे कई हितधारकों के साथ गहन परामर्श कर बनाया गया हे ओर इसे रोड–11 कहा गया है । रोड– 11 के लिए धनबाद सड़क उप–परियोजना मोटर वाहनों, संयुक्त सेवा, सुरक्षा और पर्यावरणीय लाभ के साथ–साथ गैर–मोटर चालित परिवहन के लिए जगह उपलब्ध कराएगी जिससे सड़क परिवहन सेवाओं में सुधार होगा एवं अनुकूल सड़क डिजाइन का सामवेशन होगा ।

यह किसी भी यातायात के भीड़–भाड़ एवं यात्रा के समय को कम करेगा तथा मौजूदा सड़क पर सड़क सुरक्षा एवं गतिशीलता को बढ़ाएगा । संरेखण का चयन किया गया है क्योंकि चौड़ाई बढ़ाने के लिए पहले से ही 45 मीटर ROW की उपलब्धता है । स्वतंत्र एजेंसी द्वारा एक ईएसआईए ओर आरएपी रिपोर्ट तैयार की गई है, जो ईएसआईए परियोजना का विवरण, विकल्प का विश्लेषण, पर्यावरणीय आधार रेखा,

परियोजना प्रभाव क्षेत्र का सामाजिक–आर्थिक प्रोफाइल, सार्वजनिक परामर्श, पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव का आकलन, पुर्नवास क्रिया योजना ओर पर्यावरण प्रबंधन योजना से बना है ।

यह दस्तावेज जुडको ओर संबंधित अधिकारियों को परियोजना के निम्रण और संचालन के कारण नकारात्मक सामाजिक और प्यावरणीय प्रभावों को कम करने और इस परियोजना के सकारत्मक प्रभाव को बढ़ाने का अधिकार प्रदान करता है । परियोजना से संबधित प्रभाव स्थानीय, मुद्दे हैं जिसके लिए मानक शमन उपायों की आवश्यकता होती है । विश्व बैंक श्रेणी बी परियोजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईएसएमपी तैयार किया गया हे । दस्तावेज में प्रस्तावित शमन उपायों के लिए प्रभाव, उपशमन उपायों एवं प्रस्तावित शमन उपायों के लिए उपयुक्त लागत शामिल किया गया है । अनुबंध के प्रावधानों और अन्य पर्यावरणीय शमन आरैर वृद्धि के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए पर्यावरण प्रबंधन हेतु संस्थागत सुद्ढ़ीकरण इस दस्तावेज का एक अनिवार्य हिस्सा है ।

उपयुक्त पर्यावरण ओर सामाजिक नीतियँाः–

धनबाद रोड एनसीबी 01 और एनसीबी –2 परियोजना के लिए लागू प्रमुख पर्यावरण ओर सामाजिक कानून एवं जल (निवारण और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम,2012 है, वायु (रोकथाम ओर नियंत्रण) अधिनियम1981, निर्माण ओर ध्वंश अपशिष्ट प्रबंधन नियम,2016, ध्वनि प्रदूशण (विनियमन ओर नियंत्रण) नियम, 2000, केन्द्रीय मोटर और वाहन अधिनियम 1988, बिल्डिंग और अन्य निर्माण श्रमिक कलयाण सेस अधिनियम, 1996 के तहत निर्माण के लिए वाहनों के लिए पीयूसी, बाल श्रम (निषेध और नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016, भारतीय वन अधिनियम,1927 (वृक्ष गिराने की अनुमति),MOEFCC फ्लाई ऐश अधिसूचना,2009,खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन ओर बाध्यकारी आंदोलन) नियम, 2016, ठोस अपशिष्ट (हैंडलिग एंव मैनेजमेंट) नियम, 2016, निर्माण और ध्वंश अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 देश श्रम कानून और सड़क विक्रेताओं (सड़क वेंडिंग के जीवन–स्तर और विनियमन का संरक्षण के कार्यक्षेत्र में शामिल की जाएंगी ।

अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण,निशेध और निवारण) अधिनियम,2013 कर्मचारी पीएफ और विविध प्रावधन अधिनियम, 1952, बाल श्रम (निषेध और नियमन) अधिनियम 1986, अंतरराज्जीय प्रवासी श्रमिकों (रोजगार का नियमन ओर सेवा की भर्ती अधिनियम, 1979 ,भवन और अन्य निर्माण कार्य(रोजगार नियमन और सेवा की भर्ती) अधिनियम 1966, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 साप्ताहिक छुट्यिां अधिनियम 1942, नियोक्ता का दायित्व अधिनियम 1938, बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976 आदि ।

ओपी 4.01 (पर्यावरण आकलन), ओपी 4.011(भौतिक एवं सांस्कृतिक संसाधन) ओर ओपी 4.12 (अनौपचारिक पुनर्स्थापन),सुचनाओं तक पहुँच एवं इसके प्रकटीकरण पर विश्व बैंक नीति इस उप–परियोजना के लिए लागू विश्व बैंक संरक्षण नीतियों में शामिल हैं । यह परियोजना डब्ल्यूबीजी ईचएस दिशा–निर्देशों का भी पालन करेगी ।

नागरिक एवं हितधारक परामर्श

ओपी 4.01, अ)एसएंडएस मुल्यांकन (जनवरी – जून 2017) के दौरान और अक्टूबर 2017 में ड्राफ्ट ईएसआईए की तैयारी के बाद यूलबी के साथ हितधारक परामर्श दो बार आयोजित किया गया था। परामर्श

प्रक्रिया के दौरान उप–परियोजना से संबंधित जानकारी जैसे कार्य अनुसूची, सम्मिलित प्रक्रियाओं, परियोजना घटक, संभावित प्रभाव, अधिकृत शिकायत निवारण तंत्र का प्रसार किया गया था।

झारखण्ड राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड, सार्वजनिक क्षेत्र, यूएलबी, भूमि राजस्व विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, वन विभाग जैसे हितधारक भी परामर्श में शामिल थे। उप–परियोजना के लिए किये गए डिजाइन के अनुसार, सड़क सुधार गतिविधियों के कारण सात मंदिरें और 2 मूर्तियां प्रभावित हो रही हैं जिसके पूर्ण एवं आंशिक स्थानानन्तरण की आवश्यकता होगी।

धार्मिक संरचना का स्थानांतरण एक संवेदनशील मुद्दा है और इस प्रकार सड़क डिजाइन को अंतिम रूप देने से पहले स्थानीय लोगों के साथ चर्चा की जानी चाहिए। इस संदर्भ में, सभी सात धार्मिक स्थानों के संबंध में 9 जून 2017 जुडको द्वारा परार्मश किया गया। परामर्श से उत्पन्न होने वाले सुझावों को डिजाइन एवं शमन योजनाओं में उचित रूप से शामिल किए गया था।

सार्वजनिक परामर्श की टिप्पणियों का सारांश ईएसआईए के अंश के रूप में विस्तृत रूप से निम्नवत दिया गया है:

i. इस परियोजना के लिए कोई भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है एवं परियोजना की गतिविधियों को उपलब्ध आरओए में सीमित किया जाएगा।
ii. सभी प्रभावित घरों में गैर–स्वामित्व धारक हैं, जिन्हें उप–परियोजना के लिए तैयार एंटाइटेलमेंट मैट्रिक्स (पात्रता आवयूह) में निहित अधिकारों के अनुसार ढाँचे के नुकसान और अन्य सहायता के लिए मुआवजा दिया जाएगा। एंटाइटेलमेंट मैट्रिक्स का प्रासंगिक प्रावधान जनता की जानकारी के लिए किए गए थें एवं उसका एक हिंदी संस्करण संवेदक द्वारा कार्य शुरू किये जाने से पूर्व वितरित किया जाएगा। स्थानीय लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण के बारे में भी सूचित किया गया।
iii. लोगों ने सड़क सुरक्षा, धूल से प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे को उठाया है। जब एक बार सड़क का परिचालन शुरू हो जाता तो लोगों ने दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यातायात सुरक्षा उपायों को शामिल करने का अनुरोध किया।
iv. आरएंडआर बजट में बजट प्रावधान भी शामिल किया गया है।
v. स्थानीय लोगों के साथ 7 धार्मिक संरचनाओं के स्थानांतरण के लिए परामर्श किया गया। आम तौर पर लोग इस क्षेत्र में बेहतर सड़क की आवश्यकता को देखते हुए मंदिरों को स्थानांतरित करने पर सहमत हो गऐ। परन्तु एक स्थान पर मंदिर को स्थानांतरित करने के लिए और अधिक परामर्श करने की अव्यश्यकता होगी ।
vi. स्थानीय लोगों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि संवेदक को परियोजना में स्थानीय लोगों (मुख्य रूप से महिला) के रोजगार के लिए प्रावधान रखना चाहिए।

अनुवीक्षण, वर्गीकरण और प्रभावों का आकलन

उप–परियोजना का स्क्रीनिंग (अनुवीक्षण) अनुबंध 1 में संलग्न चेकलिस्ट के अनुसार किया गया था। धनबाद रोड एनसीबी–01 और एनसीबी–2 परियोजना पर्यावरण के तहत ई–2 एवं एस–1 के सामाजिक प्रभावों के लिए वर्गीकृत की गई है।ईएसएमएफ के अनुसार, परियोजना को ई–2 के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

परियोजना संभावित प्रभाव मध्यम, स्थल–विशेष एवं स्पष्ट मुद्दे हैं; जिसके लिए मानक शमन उपयों की आवश्यकता होगी, जिन्हें आसानी से डिजाइन / कार्यान्वित किया जाता है।

यह ईएसएमएफ के अनुसार, परियोजना के कार्यान्वयन के सभी चरणों यथा डिजाइन, निर्माण और संचालन में पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों की पहचान करता है। प्रस्तावित उप–परियोजना में कोई नयी सड़क नहीं है, लेकिन कांके चौक से मेमको गोल चौक के बीच की क्षमता को 4 लेन तक बढ़कार साइकिल ट्रैक, सेवा भूमि और फूटपाथ के साथ उन्नयन किया जायेगा। इसमें 8322 वृक्षों पर असर पड़ेगा, हालांकि इसे 1:2 अनुपात (1700 पेड़) में अनुपूरक वृक्षारोपण और 6753 वृक्षों के प्रतिरोपण के जरिये कम किया जाएगा। यह परियोजना वृक्ष काटने पेड़ों के प्रतिरोपण के लिए श्रमिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के सभी आवश्यक उपायों का समर्थन करेगा। यह परियोजना एक निश्चित निधि एवं पर्यवेक्षण के द्वारा नए लगाये गये वृक्षों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने में निवेश करेगा। परियोजना का निर्माण चरण वर्तमान में आरओब्ल्यू पर स्थित विक्रेताओं और संरचनाओं की आजीविका पर भी असर डालेगा। बेारो क्षेत्र वाले स्थलों पर भूमि उपयोग में अस्थायी परिवर्तन की उम्मीद है, हालांकि यह वर्तमान में बंजर भूमि है, और परिशिष्ट II में बेारो क्षेत्र योजना के अनुसार बेारो गतिविधि पूरी हाने के बाद पुनर्विकास किया जाएगा। मौजूदा सरकारी लाइसेंस प्राप्त खदानों का उपयोग किया जाएगा, और कोई नया खदान नहीं खोला जाएगा।

इस परियोजना में मेाजूदा उपभोगता उपयोगी सेवाओं, 9 सांस्कृतिक धरोहर जिसमें 7 छोटे मंदिर और स्थानीय महत्त्व की 2 मूर्तियों शामिल हैं, को पुनर्स्थपित किया जायेगा। इन्हें आरएपी के प्रावधानों के अनुसार स्थानांतरित और संशोधित किया जाएगा। सभी आवश्यक प्रबंधन और शमन को भौतिक एवं सांस्कृतिक संपत्ति प्रबंधन योजना में शामिल किया गया है। निर्माण कार्य के दौरान श्रमिकों को सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, यातायात एवं दुर्घटना आदि का जोखिम है।इसके अलावा, सक्रिय निर्माण स्थलों पर व्यापक शोरगुल का स्तर, वायु की गुणवत्ता एवं उड़ते उए धूलों के उत्सर्जन से प्रभाव पडेगा। ESIA और ESMP में सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का प्रबंधन करने के लिए सभी आवश्यक उपाय शामिल किए गए है।

बेारो क्षेत्र प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन,सतही मृदा प्रबंधन, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन, आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्य योजना, वृक्ष काटना, प्रतिरोपण और अनुपूरक वृक्षारोपण, भौतिक एवं सांस्कृतिक संपत्ति प्रबंधन योजना और पुर्नस्थापन कार्य योजना के लिए विशिष्ट प्रबंधन योजनाएं एवं तकनीकी दिशा–निर्देश तैयार किए गए है। उप–परियोजना के कारण महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव इस प्रकार होंगे I (अ) गांवो, समुदायों और शहरी क्षेत्रों के बीच बेहतर संबंध तथा बाजार सुविधाओं, स्वास्थ्य केंद्रों, शिक्षा आदि के लिए व्यापक पहुंच। (आ) स्थानीय लागों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि (इ) यात्रा के समय भीड़ और प्रदूषण का प्रभाव कम करने (ई) बेहतर सड़क सुरक्षा, पैदल यात्रीयों एवं गैर-मोटर चालित वाहनों का आवागमन; और (उ)सड़क डिजाइन मानक पेश करना जो गैर–मोटर चालित परिवहन के अनुकूल है। इस परियोजना में कोई भूमि–अधिग्रहण शामिल नहीं होगा, लेकिन मौजूद RoW के भीतर स्थित 258 घर प्रभावित होगा। सभी प्रभावित परिवार गैर–स्वामित्व धारक हैं। कुल प्रभावति संरचनाओं में से 116 अवैध निवासी हैं। यह परियोजना बिना किसी ढाँचे एवं खुले में कारोबार करने वाले 13 हाकरों की आजीविका पर अस्थायी रूप से प्रभाव डाल सकती है I वे सड़क पर अपने सामान को लगाते हैं और शाम को चले जाते हैं। ईएसएमएफ वर्गीकरण मानदंडो के अनुसार, धनबाद रोड एनसीबी–01 और एनसीबी–2 परियोजना को

एस–1 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनौपचारिक पुर्नस्थापन पर देश के कानूनों और विश्व बैंक के संचालन नीति 4.12 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक पृथक RAP तैयार किया गया है।

पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन योजना :-

एक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना (ईएसएमपी), जो निर्धारित शमन उपायों, उनके कार्यान्वयन के साधनों, अनुश्रवण योजना एवं इसमें शामिल लागत का प्रतिपादन करता है जिसे ESIA के साथ तैयार किए गया हैं। पर्यावरण गुणवत्ता की निगरानी एवं श्रम के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण हेतु लागत को ईएसएमपी बजट में प्रावधान किया गया है। ESMP में एनसीबी 1 और एनसीबी 2 के निर्माण चरण के लिए 73.0 लाख रूपये की बजटीय आवश्यकता हैं। इसके अलावा, 4.35 करोड़ रूपए की कुल लागत अनुपूरक वृक्षारोपण के लिए आवंटित की गई है, तथा 5.9 करोड़ रूपए का आवंटन वृक्ष प्रतिरोपण गतिविधि के लिए किया गया हैं।

ईएसएचएस प्रशिक्षण, श्रम शिविर की स्थापना और इसकी सुतिधाओं को इंजीनियरिंग की लागत में शामिल किया गया है। रिसेटलमेंट एक्शन प्लान (आरएपी) के लिए 7.28 करोड़ रूपये बजट का प्रस्ताव है। इसे समग्र उप–परियोजना लागतों में शामिल किया गया है।

शिकायत निपटारा प्रणाली :-

राज्य एवं शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर एक शिकायत निपटारा कोषांग की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य परियोजनाओं के पर्यावरण और सामाजिक पहलुओं के बारे में प्रभावित समुदायों की चिंताओं, पूछताछ, शिकायतों और शिकायतों को प्राप्त करना और उन्हें हल करना हैं जिसका कार्यान्वयन के दौरान सामना किया जा सकता हैं, साथ ही साथ सामाजिक समन्वय और एकीकरण से संबंधित अन्य सामाजिक मुद्दो को संबोधित करने के लिए उप–परियोजनाओं को लागू किया गया। जुडको के जीआरएम में सूचना के संप्रेषण हेतु कुछ साधन निम्नलिखित है :–

- सार्वजनिक स्थानों पर पत्रकों का वितरण
- सुचना पट्ट
- जुडको के वेबसाइट
- दूरसंचार उपकरण

उप–परियोजना निदेशक (जुडको,पीएमयू) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि प्रत्येक उप–परियोजना की गतिविधियों से संबंधित सभी शिकायतों का संचालन करने के लिए एक प्रभावी बहु–स्तरीय जीआरएम स्थापित हो। जीआरएम दूसरे स्तरों पर कार्य करेगाः समुदाय स्तर पर, जहां इस मुद्दे को हल करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा; और उप–परियोजना स्तर पर जहां एक जीआरसी की स्थापना की जाएगी और यह राज्य स्तर पर अपील तंत्र के रूप में होगा। उप–परियोजना स्तर पर जीआरसी एक महिला सदस्य सहित पांच व्यक्तियों के साथ गठित की जाएगी।

- यूएलबी/क्रियान्वयन एजेंसी से एक
- कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि (स्थानीय परियोजना क्षेत्र, प्राथमिकता : महिला)
- महिला समक्ष्या/महिला मंडल जैसे महिलाओं के एक समुदाय आधारित समूह का प्रतिनिधि
- एक व्यक्ति जो सार्वजनिक रूप से जाना जाता हो और स्थानीय लोगों द्वारा (परियोजना क्षेत्र में) उनकी ओर से बोलने के लिए (यूएलबी के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा पहचाने जाने के लिए) हो।

- पीआईयू से सामुदायिक विकास पदाधिकारी
- निकाय स्तर पर समुदाय समन्वयक या मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के प्रतिनिधि

पीएपी को शिकायत के क्षेत्र को स्पष्ट करना होगा। जीआरसी केवल निर्माण गतिविधियों से संबंधित शिकायतों पर ध्यान देगा जिसके कारण रख–रखाव अवधि के दौरान आजीविका या संपत्ति/ उपभोक्ता सेवाओं की पहुंच में बाधा, श्रमिक समुदाय विवाद, निर्माण स्थल प्रबंधन और सेवा की गुणवत्ता के नुकसान को प्रभावित करने वाली हों। भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को केवल झारखंड के भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के तहत पेश किया जाएगा।

पीएमपी (या उसका प्रतिनिधि) अपनी शिकायत या तो लिखित पत्र, दूरभाष या जीआरसी को ई–मेल के माध्यम से कर सकते हैं या वैकल्पिक रूप से, परियोजना के कर्मचारियों के साथ किसी सार्वजनिक या व्यक्तिगत बैठक में अपनी आवाज उठा सकते हैं। स्थानीय भाषा में एक बहुत ही सरल शिकायत फार्म शिकायतकर्ता द्वारा भरने के लिए प्रत्येक परियोजना स्थल पर उपलब्ध होगा। साथ ही, शिकायत पेटी को यूएलबी कार्यालय, पीआईयू कार्यालय एवं संवेदक शिविर स्थल / कार्यालय में रखा जाएगा। पीआईयू और संवेदक, धनबाद के कार्यालय में एक व्यक्ति को सभी शिकायतों (मौखिक या लिखित) प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार शिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा जो इस तरह की शिकायतों एवं उस पर की गयी कार्रवाई को अभिलेखित करेगा। अशिक्षित शिकायतकर्ताओं के मामले में लगे गैर–सरकारी संगठन एक समन्वयक के रूप में कार्य करेगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि सभी शिकायतें / सुझाव मुख्य रूप से पीआईयू प्रमुख, पीएपी और स्थानीय समुदाय के ध्यान में रहे।

शिकायतों/सुझावों को दर्ज करने हेतु राज्य स्तर पर संपर्क का पता निम्नवत है:-

शिकायत निपटारा कोषांग :-

झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लि0 (जुडको लि0)
तृतीय तल, प्रगति सदन, कचहरी चौक
राँची – 834001, झारखण्ड
फोन नं0 – 6512225878
ई–मेलः **grc.jmdp.juidco@gmail.com**

शिकायत की प्राप्ति के बाद जीआरसी द्वारा समुदाय स्तर पर मामले को हल करने के लिए मिलकर आम तौर पर 7–10 कार्य दिवसों के भीतर शिफारिस की जाएगी। यदि 10 दिनों के बाद कोई निर्णय नहीं होता है, तो पीएपी या कोई अन्य पीड़ित व्यक्ति उप–परियोजना निदेशक (जुडको, वर्ल्ड बैंक पीएमयू) को शिकायत करेंगे, जो 20 दिनों के भीतर शिकायत की जांच कर इसे बताएँगे। यह माना जाता है कि उनकी शिकायतों को इसकी जटिलता के कारण हल करने में अधिक समय लग सकता है, उदाहरण के लिए, भूमि विवाद से संबंधित ऐसे मामलों में, पीड़ित पक्ष को 20 दिनों के भीतर कारणों और अगली कार्रवाइयों के साथ देरी की संभावना को सूचित किया जाएगा। सभी प्रस्तुत शिकायतों को उप–परियोजना स्तर पद दर्ज किया जाएगा और जुडको–जेएमडीपी पीआईयू के एक डेटाबेस से जोड़ा जाएगा, जिसका नियत JUIDCO एवं JMDP कर्मी द्वारा नियमित रूप से निगरानी किया जायेगा। उपरोक्त बताए गए तरीकों के अलावा, पीएपी को देश की न्यायपालिका के पास जाने का अधिकार है।

लैंगिक मुद्दा, कार्य योजना एवं अनुश्रवण संकेतक

परियोजना में मुख्य लैंगिक मुद्दे शहरी बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं की पहुंच, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के कार्यबलों की भागीदारी में असमानता और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता में असमानता हैं। यह सुनिश्चित करेगी। उचित सड़क प्रकाश व्यवस्था महिलाओं की सुरक्षा में वृद्धि करेगा। संवेदक द्वारा यह प्रावधान किया जायेगा कि वह स्थानीय लोगों को; प्राथमिक रूप से महिलाओं को काम पर रखे। आरएपी कार्यान्वयन परामर्शी/गैर–सरकारी संगठन परियोजना से प्राप्त महिलाओं के अधिकारों और अवसरों के संबंध में उनके बीच जागरूकता में वृद्वि करे।

निगरानी संकेतक कार्यरत महिलाओं की संख्या और उनकी मजदूरी को लैंगिक असहमतिपूर्ण शिकायत के साथ संवेदकों की प्रगति प्रतिवेदन में मासिक रूप से शामिल करेगा।

ईएसएमपी पर्यवेक्षण के लिए संस्थागत और कार्यन्वयन व्यवस्था

राँची स्थित जुडको में राज्य पीएमयू पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपायों को संबोधित करने के लिए समग्र रूप से जिम्मेदार होगा। एक–एक पर्यावरण और सामाजिक विशेषज्ञ पीएमयू में पूर्व से ही नियुक्त है। धनबाद में स्थित परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) जो PMU की सहायता करेगा, ईएसएमपी और आरएपी के कार्यन्वयन संस्थाओं के विशेषज्ञों को प्रशिक्षित कर उनकी क्षमताओं को बढ़एंगे। परियोजना के तहत आरएपी और अन्य सामाजिक गतिशीलता/आईईसी गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए योग्य परामर्श फर्म / नागरिक समाज संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों कि नियुक्त की जाएगी।

संवेदक की टीम ईएसएमपी के क्रियान्वयन एवं संबंधित पर्यावरणीय गुणवत्ता निगरानी को लागू करने के लिए एक योग्य ईएचएस अभियंता को शामिल करेगी। निर्माण पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण (CSQC) परामर्शी की नियुक्ति प्रक्रिया में हैं और इसमें ईएसएमपी, श्रम प्रबंधन, पेशेवर स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं तथा अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाओं के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए एक समर्पित प्र्यावरण, समाजिक, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिकारी शामिल होगे। सीएसक्यूसी परामशी टीम में कार्य–स्थल सुरक्षा की निगरानी के लिए एक समर्पित निर्माण सुरक्षा पदाधिकारी भी शामिल होंगे। सीएसक्यूसी के लिए कार्य का दायरा अनुबंध XII में दर्शाया गया है।

जुडको पीएमयू द्वारा नियुक्त परियोजना प्रबंधन परामर्शी (पीएमसी) धनबाद रोड़ एनसीबी–01 और एनसीबी–02 परियोजना के सभी संबंधित सुरक्षा उपायों के समन्वय, समीक्षा, समर्थन और निगरानी के लिए पीएमयू और पीआईयू के सामाजिक और पर्यावरण विशेषज्ञों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगा।

निर्माण के दौरान संवेदक द्वारा ईएसएमपी, श्रम प्रबंधन अैर ओएचएस प्रबंधन के अनुपालन का अनुश्रवण एवं निर्धारण पीआईयू एवं सीएसक्यूसी परामर्शी द्वारा किया जाएगा तथा PMU कर्मियों द्वारा इसका औपचारिक निरीक्षण किया जाएगा। एक स्वतंत्र परामर्शी द्वारा किए जाने वाले कार्यों का एक सेफगार्ड ऑडिट कराया जायेगा।

जुडको पीआईयू अनुलग्नक XI के अनुसार मासिक ईएसएमपी निगरानी चेकलिस्ट प्रस्तुत करेगा। जुडको पीएमयू पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन जिसमें ESMP तथा RAP की प्रगति एवं अनुपालन शामिल है, को विश्व बैंक को त्रैमासिक प्रस्तुत करेगा।